

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/12074

दिनांक:- 15/11/16

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4)के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ती पर निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कर का नाम	दिनांक 31.03.17 तक जमा कराने पर
1.	गृहकर	दिनांक 31.03.2017 तक बकाया गृहकर एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	दिनांक 31.03.17 तक का बकाया नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर वर्ष 2016-17 तक शास्ति पर 50 प्रतिशत छूट।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक:- 15/11/16

क्रमांक:- प.8(ग)(327)नियम/एलएसजी/15/12075-12320  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर समस्त, राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाए समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उपनिदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान।
9. नोडल अधिकारी मॉनेटरिंग सैल/सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी